लय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

सीन अधिकारी :– रेखा गुर्जर, आर.ए.एस.

दमा नम्बर 396/2025 प्रार्थनापत्र

1. श्रीमती श्वेता देवी पत्नी श्री विनोद कुमार मेवाडा आयु वयस्क निवासी–आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा (राज0)

––प्रार्थी

बनाम

01. गेहरी पुत्र श्री जोरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी–आमदला तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
02. रूकमणी पत्नी श्री जोरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी–आमदला तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
03. रोशन पुत्र श्री जोरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– आमदला तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
04. लक्ष्मी पुत्र श्री जोरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी–आमदला तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
05. पंकज कुमार मेवाडा पुत्र श्री ओमप्रकाश मेवाडा जाति कलाल आयु वयस्क निवासी–आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा (राज0)
06. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

––विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

परस्थित :–

श्री अशोक कुमार लखारा ––अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय ––अधिवक्ता विपक्षी 01लगायत05

पेरोकार सरकार ––अधिवक्ता–विपक्षी06

दिनांक– 11.05.2026

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 136 लैण्ड़ रेवेन्यू एक्ट का
ार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि वाके ग्रांम आमदला पटवार हल्का आमदला भू अभिलेख निरीक्षक
त्र करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 574/1 रकबा 1.3911 हेक्टयर भूमि जो कि
ार्थीया के नाम पर दर्ज है। जो कि प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 व परिवारजन से
जिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये की गयी, आराजी नम्बर 574/1 के मूल आराजी नम्बर 574 रकबा 14
ीघा थे, जिसमे से 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि रामा, रोशन, लक्ष्मी, गेहरी पिता जोरा, रूकमण बेवा जोरा
ुर्जर से दिनांक 20/12/2005 को क्रय की है, जो आराजी नम्बर 519 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा मे से
10 बिस्वा भूमि के साथ क्रय की गयी, जिसमें भी पडौस पूर्व में आराजी नम्बर 575, पश्चिम मे 576,
उत्तर मे आराजी नम्बर 519,574 स्वयं का शेष रकबा व दक्षिण मे आराजी नम्बर 573 है। जो विक्रयपत्र
मे उल्लेखित है। इसी अनुसार प्रार्थीया काबिज है। भूमी स्थित होकर खातेदारी के रूप में कब्जा कायम
करके कास्त के रूप में उपयोग उपभोग में ली जा रही है। जिसकी जमाबन्दी नकल प्रार्थना पत्र के साथ
है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर कृर्षि कास्त करते चले आ रहे है जिसकी जमाबन्दी की नकल प्रार्थना
पत्र के साथ संलग्न है। उक्त प्रार्थी की आराजियात में जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के आराजी नम्बर
574/1 रकबा 1.3911 हेक्टयर भूमि जो की प्रार्थीया ने हाल ही में उक्त भूमि का सीमांकन कराने हेतु
पटवार हल्का के पास गया तो जानकारी में आया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे वर्णित पडोस व कब्जे
अनुसार तरमीम नही होकर गलत है। विपक्षीगण को भी तरमीम दुरूस्त कराने हेतु निवेदन किया गया
लेकिन विपक्षीगण द्वारा साफ तौर पर इनकार कर दिया व विपक्षी संख्या 6 को निवेदन करने पर सक्षम
न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी गई। इस कारण धारा 136 एल0 आर0 ए0 के तहत सक्षम
न्यायालय मे वाद पत्र / प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की सलाह जिस बिनाय पर प्रार्थना–पत्र हेतुक उत्पन्न
हुआ जो निरन्तर जारी हैं।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षी को नोटिस जारी किया गया व विपक्षीगण उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये करेडा से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने हेतु तहरीर जारी की गई तहसीलदार करेडा द्वारा पेश की गई। जिसे शामिल पत्रावली की गई।

र्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते राजस्व जमाबंदी के अनुसार राजस्व तरमीम हेतु निवेदन किया गया।

पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड कन किया। मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व जमाबंदी अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम नही है। र हल्का के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे अनुसार तरमीम होने पक्षकारो के हितो पर भाव नही पडेगा। अतः मौका रिपोर्ट मे वर्णितानुसार तरमीम करवाया जाना कराया जाना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर ग्रांम आमदला पटवार हल्का आमदला भू अभिलेख निरीक्षक डा तहसील करेडा जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 574/1 रकबा 1.3911 हेक्टयर भूमि को नक्शे मे रिपोर्ट पटवार हल्का आमदला व भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेडा के अनुसार आराजी 74/1 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम की जावे। इस आदेश की पालना मे दार, करेड़ा को तहरीर मय पटवार हल्का नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। दार करेडा से प्राप्त प्रस्तावित नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)